

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 129] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 1975/आषाढ़ 13, 1897
No. 129] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 1975/ASADHA 13, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th July 1975

SUBJECT.—*Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1975-76—Amendments thereto.*

No. 60-ITC(PN)/75.—Attention is invited to the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1975-76 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 22-ITC(PN)/75, dated the 7th April, 1975.

2. The following corrections/amendments may be made at the appropriate places indicated below:—

Page No.	Para No.	Corrections/amendments
1	2	3
26	74(1)	The existing sub-paragraph 74(1) may be substituted by the following:— “74 (1) Separate applications for spares—The existing units borne on the books of D. G. T. D. whether engaged in select or other industries, should submit separate applications, on an annual basis for import of spare parts to the licensing authorities direct. Such applications should be submitted within the last date prescribed for the purpose, in the relevant import policy (Red Book-Volume I).

1	2	3
35	84(1)(iv)	Paragraph 84 (1) (iv) may be substituted by the following :— “(iv) The permissible spare parts of machine tools are those which are required for the machine tools installed or used in the licence holders factory”.
44	97(3) (b)	The first sentence of the existing sub-para 97(3) (b) may be substituted by the following :— “The import applications should be or consolidated application covering all the requirements of raw materials and components pertaining to the end produce (including the related end products) to which the application pertains.
45	97(9)	At the end of the existing sub-para 97(9) the following may be deemed to have been added :— “While making requests for conversion the country from which import of spares is sought to be made should be clearly indicated.”
46	97(ii) (f)	The last sentence of the existing sub-para 97(ii) (f) may be substituted by the following :— “In this regard it is clarified that modes of financing in the case of licence (s) to be issued under sub-para 11 (f) will be the same as would have been allowed if the applicant had initially got a licence”.
69	131(17)	The word ‘not’ appearing in the first sentence of this sub-paragraph may be deemed to have been deleted.
6	132(3)	The existing sub-para (3) may be substituted by the following :— “(3) Small Scale Units for value not exceeding Rs. 25,000 (or not exceeding Rs. 50,000 for import from Rupee Payment Area).—In respect of import applications for Capital Goods from Small Scale Units for value not exceeding Rs. 25,000 (or not exceeding Rs. 50,000 for import from Rupee Payment Area), the following procedure will be followed:—”
72	135	After the existing sub-para 5 the following sub-para may be deemed to have been added :— “(6) An existing or a new unit should make only one application in a year for import of Capital Goods required for setting up a new industrial unit or for expansion/diversification programmes. (7) An existing unit applying for import of machinery for replacement, balancing or modernisation can make one application in a half year. However, the applications to meet emergency situations like breakdown or in response to a specific foreign credit may be entertained at any time.”
84	187(4)	The existing sub-para may be substituted by the following :— “(4) Supplementary licences :—The Industrial Undertakings in the public sector engaged in select industries and IDA Industries (excluding undertakings run departmentally by Central or State Government) may also apply for the grant of supplementary import licences for raw materials and components. The applications for supplementary licences in such cases should be made separately to the Chief Controller of Imports & Exports New Delhi through DGTD indicating clearly the reasons for additional requirements of raw materials and components, by furnishing the information regarding production programme, annual requirements of raw materials and components, stock in hand expected arrivals, value of automatic licences/release orders obtained or expected to be obtained and the unutilised value of licence/release orders in hand etc. Such applications, should also be accompanied by the consumption certificate in the form appearing in Appendix 14 and should be made in the same form and manner and within the last date prescribed as laid down in the case of DGTD units in the relevant import policy (Red Book-Vol. I.)

1	2	3
85	190(4)	. Sub-para "187 (5)" referred to in this para may be read as "187(3)."
85	191	The words "priority industries" may be read as "select industries."
85	192(1) & (2)	Do.
86	192(8)	Do.
86	194(1) & (3)	. The first sentence of the existing sub-para 194 (1) may be deemed to have been substituted by the following :— " 194 (1) The emergency licence for spares.—The facility provided to actual users for grant of emergency licences for import of spare parts will also be available to industrial undertakings in the public sector up to a total value of Rs. 25000/- in each case during the course of the licensing period."
The existing sub-para 3 may be read as :—		
" (3) Applications for import of spare parts may be considered by the licensing authority to enable public sector undertakings to make an after-sales obligations. Value of licence in such case may be determined within 0.1 per cent of the ex-factory value of production during the last 3 years in respect of machinery, equipments etc. which require after sales servicing. Applications under this provision should be made in the manner as indicated in para 100 in Chapter IV of this Book. Such licences shall be subject to the same conditions as laid down in the said para 100."		
89	213	. The existing para may be read as under :— " Applications for import of capital goods and electrical plants may be made by the State Electricity Boards/Projects on the basis of foreign exchange released to cover the import and based on the indigenous clearance given by the Central Water and Power Commission. The applications should be made to CCI&E, New Delhi through Central Water & Power Commission, New Delhi."
91	225(7)	. The last sentence may be read as under :— " The last date for submission of applications will be as prescribed in the relevant policy."
99	251(13)	. The said sub-para may be substituted by the following :— " (13) Import licences for raw materials/components/spares issued prior to 1st April, 1975 to Actual users and registered exporters on General Currency Area or Rupee Payment Area and which have an initial validity period of 18 months, will automatically be deemed to be valid for 24 months from the date of issue, provided these licences have not already been revalidated beyond their initial validity period of 18 months and were valid on 31st March 1975. This facility will also be available to the import licences issued in the name of a canalising agency with a letter of authority in favour of an actual user or registered exporters."
132	Clause 11(2) (a) (i) of Appendix 2	The word 'five' may be deemed to have been substituted by 'one'.
216	Para 5 of Appendix 5	The existing sentence in the said sub-para which reads as 'The Registration Number allotted..... would be valid for the financial years April, 1968—March, 1969, April, 1969—March, 1970, April 1970 to March 1971, may be deemed to have been substituted by the following :— " The Registration Number allotted against the completed Income-Tax Verification Certificate will be valid for the

1	2	3
		financial year in which the certificate was issued and for the subsequent three financial years. For instance on an Income-Tax Officer's Certificate issued during the period from April, 1968—March, 1969, the Registratic Number would be valid for the Financial year April, 1968—March 1969, April 1969—March, 1970, April 1970—March 1971, and April 1971—March, 1972".
227	Appendix 13	. The existing proforma may be deemed to have been substituted by the proforma in Annexure I to this Public Notice.
228	Appendix 14	. (i) In Column 5, the heading may be amended to read as under:— "Particulars of all import licences and release orders (other than those issued under the import policy for Registered Exporters for raw materials and components with the unutilised balance." (ii) For the figure "10" appearing in the declaration at the end of Appendix 14, the figure "19" may be substituted.

ANNEXURE

Statement showing details of imported machinery or indigenous machinery having imported components for which spare parts are sought to be imported

1. CIF value of machinery imported before the year 1970.
2. CIF value of machinery imported during or after the year 1970.
3. Purchase price of indigenous machinery installed.

I/We solemnly declare that the above statement is true and correct to the best of my/our knowledge. If at any time, this information is found to be incorrect the import licence issued will be liable to cancellation without prejudice to any other action to be taken against me/us in this behalf.

Date.....

Signature.....
Name in Block letters.....
Designation.....
Residential Address.....

Certificate of Chartered Engineer

I/We hereby certify that I/We have checked up the above particulars from the records maintained by M/s.....and found the same to be correct.

Date.....

Signature of Chartered Engineer.
Name.....
Address.....

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1975

विषय.—आयात-व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैडबुक, 1975-76—उसमें संशोधन

सं० 60-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 22-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75 दिनांक 7 अप्रैल 1975 के अन्तर्गत प्रकाशित आयात व्यापार नियंत्रण, नियम तथा क्रियाविधि हैडबुक, 1975-76 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित श्रद्धियां संशोधन नीचे संकेतित उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं:—

पृष्ठ सं०	कंडिका सं०	श्रद्धियां संशोधन
1	2	3
26	74(1)	वर्तमान उप-कंडिका 74(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:— “74(1) फालतु पुर्जों के लिए अलग आवेदन पत्र-महा निदेशक तकनीकी विकास की पुस्तक में दिखाए गए वर्तमान एकक चाहे वे बरीय उद्योग के हों या अन्य उद्योग के, उन्हें चाहिए कि वे फालतु पुर्जों के आयात के लिए वार्षिक आधार पर अलग आवेदन पत्र सीधे ही लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजें। ऐसे आवेदन पत्र सम्बद्ध आयात नीति (रेडबुक वा०-1) में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि के भीतर भेजे जाने चाहिए”।
35	84(1)(4)	कंडिका 84(1)(4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:— “(4) मशीन औजारों के स्वीकृत फालतु पुर्जों वे हैं जो कि लाइसेंस धारक के कारखाने में स्थापित या प्रयोग किए जा रहे मशीन औजारों के लिए आवश्यक हैं।”
44	97(3)(बी)	वर्तमान उप-कंडिका 97(3)(बी) के प्रथम वाक्य को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:— “आयात आवेदन पत्र एक समेकित आवेदन पत्र होना चाहिए जिसमें उस अन्तिम उत्पाद से सम्बद्ध कच्चे माल एवं संघटकों की सभी आवश्यकताओं का संकेत हो जिससे आवेदन पत्र संबंधित है।”
45	97(9)	वर्तमान उप-कंडिका 97(9) के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा गया समझा जाए:— “परिवर्तन के लिए आवेदन करते समय उस देश का साफ-साफ संकेत किया जाना चाहिए जहां से फालतु पुर्जों का आयात किया जाना है।”
46	97(11)(एफ)	वर्तमान उप-कंडिका 97(11)(एफ) के अन्तिम वाक्य को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:— “इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उप-कंडिका 11(एफ) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले लाइसेंस (सों) के लिए वित्त-दान की विधि वैसी ही होगी जैसी कि आवेदक को प्रारम्भ में लाइसेंस प्राप्त करने पर स्वीकृत की गई होगी।”

1

2

3

- 69 131(17) इस उप-कंडिका के प्रथम वाक्य में दिखाए गए 'नहीं' शब्द को हटाया गया समझा जाए ।
- 69 132(3) वर्तमान उप-कंडिका (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—
- “(3) 25,000 रुपए मूल्य तक के लिए लघु पैमाने के एकक (या रुपया भूगतान क्षेत्र से आयात के लिए 50,000 रुपए तक के लिए)—लघु पैमाने के एककों द्वारा 25,000 रुपए तक (या रुपया भूगतान क्षेत्र से आयात के लिए 50,000 रुपए तक) पूंजीगत माल के लिए आयात आवेदन पत्रों के मामले में, निम्न-लिखित क्रियाविधि अपनाई जाएगी:”
- 72 135 वर्तमान उप-कंडिका 5 के बाद निम्नलिखित उप-कंडिका को जोड़ा गया समझा जाए:—
- “(6) एक वर्तमान या नए एकक को चाहिए कि वह नए औद्योगिक एकक की स्थापना के लिए या विस्तार, नानारूपकरण कार्यक्रम के लिए आवश्यक पूंजीगत माल के लिए एक वर्ष में केवल एक ही आवेदन पत्र भेजे ।
- (7) बदलाई, संतुलन अथवा आधुनिकीकरण के लिए मशीनरी के आयात के लिए आवेदन करने वाला एकक छः मास में एक आवेदन पत्र दे सकता है । लेकिन, आपातकालीन परिस्थितियों में जैसे मशीनरी में खराबी होने या विशिष्ट विदेशी साख की प्रतिक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदन पत्रों पर किसी भी समय विचार किया जा सकता है ।”
- 84 187(4) वर्तमान उपकंडिका को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—
- “(4) पूरक लाइसेंस.—बरीय उद्योगों तथा आई डी ए उद्योगों में लगे हुए सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थान (केन्द्राय अथवा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभागीय संस्थानों को छोड़कर) भी कच्चे माल एवं संघटकों के लिए पूरक आयात लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं । ऐसे मामलों में पूरक लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र अलग से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भूतानिदेशक तकनीकी विकास के माध्यम से भेजे जाने चाहिए और इनमें उत्पादन कार्यक्रम, कच्चे माल एवं संघटकों की वार्षिक आवश्यकताओं हस्तगत स्टाक, अनुमानित आने वाला माल, प्राप्त किये गये या प्राप्त किए जाने वाले आटोमेटिक लाइसेंसों/रिहाई आदेशों का मूल्य और हस्तगत लाइसेंस/रिहाई आदेशों के प्रयुक्त मूल्य

1

2

3

के बारे में जानकारी देते हुए कच्चे भाल एवं संघटकों की अति-रिक्त आवश्यकताओं का साफ साफ संकेत करें। ऐसे आवेदन पत्र परिशिष्ट 14 में दिखाए गए प्रपत्र में उपभोग प्रमाण पत्र के साथ भेजे जाने चाहिए और वे सम्बद्ध आयात नीति (रेडबुक वा० 1) में महानिदेशक तकनीकी विकास के मामले में यथा निर्धारित प्रपत्र एवं विधि से एवं अन्तिम तथि के भीतर ही भेजे जाने चाहिए।

85 190(4) इस पैरा में संदर्भित उप-पैरा "187 (5)" को "187(3)" पढ़ा जाए।

85 191 शब्द "प्राथमिक उद्योग को" चुनिन्दा उद्योग पढ़ा जाए।

85 192(1) वही
तथा (2)

86 192(8) वही

86 194(1) और (3) वर्तमान उप-पैरा 194(1) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य प्रतिस्थापित किया गया सम्झा जाए.—

"194(1) फालतू पुर्जों के लिए आपातकालीन लाइसेन्स.—

फालतू पुर्जों के आयात के लिए आपातकालीन लाइसेन्सों की मंजूरी के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को दी गई सुविधा सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों को भी लाइसेन्स अवधि के दौरान प्रत्येक मामले में 25,000 रुपये के कुल मूल्य तक उपलब्ध होगी।" वर्तमान उप-पैरा (3) को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए.—

"(3) फालतू पुर्जों के आयात के लिए आवेदनपत्रों पर लाइसेन्स प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जा सकता है जिससे कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान बिश्री उपरान्त आभारों को पूरा कर सकें। ऐसे मामले में लाइसेन्स का मूल्य, भौतिकी उपस्कर आदि जिन्हें बिश्री उपरान्त सम्मत की आवश्यकता होती है, के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन के कारखाने के से बाहर के मूल्य के 0.1% के भीतर निश्चित किया जा सकता है। इस व्यवस्था के अधीन आवेदनपत्र इस पुस्तक के अध्याय-4 के पैरा 100 में निर्दिष्ट तरीके से दिए जाने चाहिए। ऐसे लाइसेन्स उन्हीं शर्तों के अधीन होंगे जो उक्त पैरा 100 में निर्धारित की गई है।"

1

2

3

89 213

वर्तमान पैरा निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए :—

“पूँजीगत माल और विद्युतीय संयंत्रों के आयात के लिए आवेदन पत्र सम्पूर्ण आयात के लिए रिहा की गई विदेशी मुद्रा के आधार पर और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा दी गई देसी निकासी के आधार पर राज्य विद्युत बोर्ड/परियोजनाओं द्वारा दिए जा सकते हैं। आवेदन पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात नई दिल्ली को केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग नई दिल्ली के माध्यम से देने चाहिए।”

97 225(7)

अंतिम वाक्य को निम्नलिखित रूप से पढ़ा जाए :—

“आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि संगत नीति में यथा निर्धारित होगी।”

99 251(13)

उक्त उप-पैरा के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाए :—

“(13) सामान्य मुद्रा क्षेत्र या रुपया भुगतान क्षेत्र आधार पर वास्तविक उपयोक्ताओं और पंजीकृत निर्यातकों को कच्चे माल/संघटकों/फालतू पुर्जों के लिए 1 अप्रैल, 1975 से पहले जारी किए गए और 18 महीनों की प्रारम्भिक वैधता अवधि वाले आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 24 महीनों के लिए स्वतः वैध हो गए समझे जायेंगे बशर्ते कि वे लाइसेंस अपनी 18 महीनों की प्रारम्भिक वैधता अवधि से अधिक पहले ही पुनर्वैध नहीं किए गए हैं और वे 31 मार्च, 1975 को वैध थे। यह सुविधा वास्तविक उपयोक्ता या पंजीकृत निर्यातक के पक्ष में प्राधिकार पत्र के साथ सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण के नाम में जारी किए गए आयात लाइसेंसों को भी उपलब्ध होगी।”

132 परिशिष्ट 2 की शब्द पांच” के स्थान पर शब्द “एक” प्रतिस्थापित किया गया धारा 11(2)(ए) (1) समझा जाए।

216 परिशिष्ट 5 का
पैरा 5

उक्त उप-पैरा के प्रथम वाक्य जो “आंबटित पंजीकरण संख्या वित्तीय वर्ष अप्रैल, 1968-मार्च 1969, अप्रैल, 1969-मार्च, 1970, अप्रैल 1970-मार्च 1971 के लिए वैध होगी” है उस के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—

“पूर्ण आयकर सत्यापन प्रमाण पत्र के प्रति आंबटित पंजीकरण संख्या उस वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगी जिस में प्रमाण पत्र जारी किया गया था और आप्ताभी तीन वित्तीय वर्षों

1	2	3
	के लिए उदाहरणार्थ अप्रैल 1968 से मार्च 1969 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए आयकर अधिकारी के प्रमाण पत्र पर वित्तीय वर्ष अप्रैल 1968-मार्च 1969, अप्रैल 1969-मार्च 1970, अप्रैल 1970-मार्च 1971 और अप्रैल 1971-मार्च 1972 के लिए पंजीकरण संख्या वैध होगी।”	
227	परिशिष्ट 13	वर्तमान प्रपत्र के स्थान पर इस सार्वजनिक सूचना के अनुबंध-1 का प्रपत्र प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए।
228	परिशिष्ट 14	(1) कालम 5 में शीर्षक निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए :— “बिना उपयोग किए गए अंतःशेष के साथ कच्चे माल और संघटकों के लिए सभी आयात लाइसेंसों और रिहाई आवेदनों (पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसों या रिहाई आवेदनों से भिन्न) के व्यौरे।” (2) परिशिष्ट 14 के अन्त में घोषणा में प्रदर्शित आंकड़ा ‘10’ के लिए आंकड़ा “19” प्रतिस्थापित किया जाए।

परिशिष्ट

आयातित मशीनरी या देशी मशीनरी जिस में आयातित संघटक हों, जिनके लिए फालतू पुर्जों का आयात किया जाना है, उनके व्यौरों को दर्शाने वाला विवरण।

1. 1970 से पूर्व आयातित मशीनरी का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य—
2. 1970 के दौरान या इसके बाद आयातित मशीनरी का लागत बीमा भाड़ा मूल्य—
3. स्थापित देशी मशीनरी का क्रय मूल्य—

मैं/हम निष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। यदि यह सूचना किसी समय गलत पाई जाएगी तो इसके लिए जो अन्य कार्रवाई मेरे/हमारे विरुद्ध की जाएगी उसको ध्यान में रखे बिना ही जारी किया गया आयात लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

हस्ताक्षर

साफ अक्षरों में नाम—

पद—

विवास स्थान का पता—

सन्तः अभियन्ता का प्रमाण पत्र

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने सर्वश्री—के
द्वारा रखे गए रिकार्ड से उपर्युक्त व्यौरों की जाच कर ली है और उसको सही पाया है।

सन्तः अभियन्ता के हस्ताक्षर

दिनांक—

नाम—

पता—

SUBJECT.—Imports through Air India/Indian Airlines against REP licences during 1975-76, Amendment thereto.

No. 61-ITC(PN)/75.—Import licences are issued with value on cif basis. I covers the amount to be utilised on imports on account of cost, insurance and freight. It has been represented that in many cases the licence holders have to import goods by Air having regard to their urgent requirements, but the freight being higher than the sea freight, the value of the licence available for purchase of goods abroad gets reduced to that extent, with the result that the licence holders get lesser quantity than what he needs.

2. This matter has been examined. It has been decided that REP licence holders, including holders of advance and imprest licences issued under the import policy for Registered Exporters, and including those having REP licences issued to the canalising agencies with Letters of Authority in their name, who import goods against such licences through Air India/Indian Airlines and pay the air freight in India in non-convertible Indian rupees will be allowed to utilise the entire value of their licences on account of payment towards cost and insurance of the goods imported. In other words, that part of the value of import licence which was intended to cover the amount on account of 'freight' will also be allowed to be utilised on cost and insurance in respect of the goods to be imported. The amount paid towards air freight will not be debited to the value of the licence. To this extent, the REP licence holder will be able to import a higher quantity of goods than what he could have imported in case the amount of 'freight' had also been debited to the overall value of the licence.

3. This facility will be subject to the conditions that (i) the imports shall not exceed the overall value of the licence. (ii) the face value restrictions, if any, on individual items in the licence will not be exceeded; and (iii) other conditions governing the import will remain unchanged. The facility will also apply to licences issued to the units in Santa Cruz Electronics Export Processing Zone, Bombay and Kandla Free Trade Zone, New Kandla.

4. It will not be necessary for the licence holders who want to avail of this facility to obtain an endorsement from the licensing authority to this effect. The customs authorities will allow the import in pursuance of the provisions made in this Public Notice, if otherwise in order. Similarly, the authorised dealers in foreign exchange will also not debit the amount of air freight in such cases to the c.i.f. value of the licence for the purpose of remittance abroad.

5. Licence holders who want to avail of this facility should have a clear stipulation inserted in their order and letter of credit (where opened) that the foreign shipper should advise Air India's booking office abroad that the consignment will be imported into India under REP licence and have a bold indication made on top of the relevant Airway Bill as "Import under REP licence No. dated.". Such indication on the Airway Bill will enable Air India to ensure that the consignment was physically carried by an Air India flight and not transferred to a partner airline in the pooling arrangement.

6. It shall be obligatory on the licence holders/letter of authority holder to furnish to the Air India/Indian Airlines the particulars of the REP licence against which the import is made while approaching the Air India/Indian Airlines for obtaining delivery order in respect of the goods imported. The particulars should be furnished in the proforma of the 'Intimation Slip' attached to this Public Notice.

7. This facility will be available to the REP licences issued on or after 1st April, 1973 and will be in force upto 31st March, 1976.

Intimation Slip

1. Name and address of the licence-holder.
2. Number and date of REP licence(s) against which the import has been made.
3. C.I.F. value of the REP licence(s) referred to in (2) above.
4. Value of the import consignment awaiting clearance, out of the value mentioned in (3) above.

Date.....

Signature of the licence-holder or
his authorised representative

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

विषय :—1975-76 के दौरान आर ई पी लाइसेंसों के प्रति एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइन्स के माध्यम से आयात।

सं० 61-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा आधार पर मूल्य सहित जारी किए जाते हैं। इसमें लागत बीमा और भाड़ा के मद्दे आयातों पर उपयोग की जाने वाली धनराशि शामिल होती है। यह प्रतिवेदन किया गया है कि बहुत से मामलों में लाइसेंसधारियों को अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर वायुयान द्वारा माल का आयात करना होता है, परन्तु जल-मार्ग के भाड़े से वायु मार्ग का भाड़ा अधिक होने के कारण विदेश में माल का क्रय करने के लिए उपलब्ध लाइसेंस का मूल्य उसी सीमा तक घट जाता है। जिसका परिणाम यह होता है कि लाइसेंस धारी को माल की जिस मात्रा की आवश्यकता है, उससे वह कम प्राप्त करता है।

2. इस मामले की जांच की गई है। यह निश्चय किया गया है कि पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नोंति के अन्तर्गत जारी किए गए अग्रिम और अग्रदाय लाइसेंसों के धारकों सहित और अपने नाम में प्राधिकार पत्रों के साथ सरणीबद्ध करने वाले अधिकरणों के नाम में जारी किए गए आर ई पी लाइसेंस रखने वालों सहित वे आर ई पी लाइसेंसधारी जो एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइसेंस के माध्यम से माल का आयात करते हैं और वायुयान के भाड़ा अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में भारत में चुकाते हैं उन्हें आयातित माल के लागत और बीमे के प्रति भुगतान के लिए अपने लाइसेंसों के पूर्ण मूल्य का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरे शब्दों में आयात लाइसेंसों के मूल्य का जो भाग "भाड़े" की धनराशि को पूरा करने के लिए या उसको भी आयात किए जाने वाले माल के संबंध में लागत और बीमे पर उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। वायुयान "भाड़े" के प्रति चुकाई गई धनराशि लाइसेंस मूल्य के नामे नहीं डाली जाएगी। इस सीमा तक आर ई पी लाइसेंसधारी माल की उस मात्रा से अधिक मात्रा का आयात करने के योग्य होगा जो वह तब आयात कर सकता था जब भाड़ा भी लाइसेंस के समस्त मूल्य के नामे डाला जाता।

3. यह सुविधा इन शर्तों के अधीन होगी कि (1) आयात, लाइसेंस के समस्त मूल्य से अधिक के नहीं होंगे (2) यदि लाइसेंस में किन्हीं अलग अलग मदों पर अंकित मूल्य प्रतिबन्ध होगा तो उस का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, और (2) आयात को नियंत्रित करने वाली अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी। वह सुविधा सान्ताक्रुज इलैक्ट्रानिक्स निर्यात संसाधन क्षेत्र, बम्बई और कान्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र, न्यू कान्डला में स्थित एककों को जारी किए गए लाइसेंसों पर भी लागू होगी।

4. जो लाइसेंसधारी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं उन के लिए इस संबंध में लाइसेंस प्राधिकारी से पृष्ठांकन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। यदि आयात अन्य सब प्रकार से उचित होगा तो सीमाशुल्क प्राधिकारी इस सार्वजनिक सूचना में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में आयात की अनुमति देंगे। इसी प्रकार से विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी भी ऐसे मामलों में विदेश में धन प्रेषण करने के लिए वायुयान भाड़े की धनराशि को लाइसेंस के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के नामे नहीं डालेंगे।

5. वे लाइसेंसधारक जो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे अपने आदेश और साख-पत्र (जहां खोला गया है) में एक स्पष्ट अनुबंध निविष्ट करें कि विदेशी संभरक विदेश में भारत के बुकिय कार्यालय को यह परामर्श करे कि भारत में आर ई पी लाइसेंस के अन्तर्गत प्रेषण का आयात किया जा रहा था और सम्बद्ध वायुमार्ग बिल पर "आर ई पी लाइसेंस संख्या दिनांक के अन्तर्गत आयात" के रूप में मोटा मोटा संकेत किया जाना चाहिए। वायुमार्ग बिल पर इस प्रकार का संकेत एयर इंडिया को इस बात का सुनिश्चय करने के लिए समर्थ बनाएगा कि प्रेषण वास्तव में एयर इंडिया के विमान में किया गया था और न कि उसे पुर्लिंग व्यवस्था में भागीदार एयरलाइसेंस को हस्तांतरित कर दिया गया था।

6. लाइसेंसधारक/साख प्राधिकार पत्र के धारक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह आयातित माल के संबंध में संभरण आदेश प्राप्त करने के लिए एयर इंडिया/इन्डियन एयरलाइंस को प्रस्ताव करते समय एयर इंडिया/इन्डियन एयर लाइसेंस को उस आर ई पी लाइसेंस के ब्यौरे प्रस्तुत करे जिस के मुद्दे आयात किया गया है। वे ब्यौरे इस सार्वजनिक सूचना के लिए संलग्न "सूचना स्लिप" के प्रपत्र में भेजे जाने चाहिए।

7. यह सुविधा 1-4-1973 को या इसके बाद में जारी किए गए आई ई पी लाइसेंसों के लिए उपलब्ध होगी और 31-3-1976 तक लागू रहेगी।

सूचना स्लिप

1. लाइसेंसधारक का नाम और पता
2. उस आर ई पी लाइसेंस(सों) की क्रम संख्या एवं दिनांक जिसके मुद्दे आयात किया गया है।
3. उपर्युक्त (2) में उल्लिखित आर ई पी (लाइसेंसों) का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य।
4. उपर्युक्त (3) में उल्लिखित मूल्य में से निकासी की प्रतीक्षा के लिए आयात प्रेषण का मूल्य।

लाइसेंसधारक के या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांक

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।